न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं.1, नागौर, जिला– नागौर ।

पीठासीन अधिकारीः– देव कुमार खत्री, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध(जमानत) प्रकरण संख्याः– 293/2024

लेखराम पुत्र मोहनराम, उम्र–50 वर्ष, निवासी–ढींगसरा, पुलिस थाना सदर, नागौर, जिला–नागौर ।

–प्रार्थी/अभियुक्त.

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, नागौर ।

–अप्रार्थी.

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.111/2024, पुलिस थाना सदर, नागौर,
अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149, 365, 326, 307 भा.दं.सं.

उपस्थित:–
1. श्री रामस्वरूप विश्नोई व श्री रामप्रसाद धोलिया, विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री गोपालराम गोदारा, विद्वान अपर लोक अभियोजक, नागौर राज्य की ओर से ।
3. श्री निम्बाराम काला, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से ।

– आदेश – दिनांकः–01.07.2024

1. प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 111/2024, पुलिस थाना सदर, नागौर, अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149, 365, 326, 307 भा.दं.सं. में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. दिनांक 26.06.2024 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा खारिज किया गया, जिस पर धारा 439 दं.प्र.सं. के तहत जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया । जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई । केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी अशोक ने दिनांक 18.05.2024 को पुलिस थाना सदर, नागौर में एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 18.05.2024 को दोपहर के 12.45 बजे के करीब उसका भाई विजेन्द्र अपनी निजी सवारी बस लेकर नागौर से रवाना हुआ था और जैसे ही 1.15 बजे चिमरानी फांटा पर बस लेकर पहुंचा तो चिमरानी फांटा के पास दो कैम्परों में हथियारों से लैस 15–20 व्यक्ति मोहनराम, लेखाराम, पतराम, राकेश, मनीष, विकास, हरसुख, कानाराम, अनिल, ओमप्रकाश, महेन्द्र, हड़मान, ओमप्रकाश, मनिष, अशोक, लालुराम, रामनिवास व तीन–चार अन्य मुलजिमान ने बस के आडी दो कैम्पर रोककर उसके भाई विजेन्द्र को जान से मारने की

नीयत से बस से उठाकर मारपीट करते हुये कैम्पर में डालकर ले गये । राकेश, दिनेश व अन्य सवारियों के द्वारा बीच–बचाव भी किया गया, लेकिन हथियार लैस लोगों ने सवारियों को हथियार के बल पर डरा–धमकाकर उठाकर ले गये और पिस्तौल दिखाकर कहा कि इसको जान से मारेंगे और कोई बीच में आया तो उसको भी जान से मार डालेंगे और धारदार हथियार से मारपीट करते हुये विजेन्द्र का नाक काट लिया गया और सिर व बाकी शरीर पर सैकड़ों चोटें आई और मारपीट करते हुये ढींगसरा व भेड रोड गोलाई में पटककर चले गये, जिसको पुलिस द्वारा खींवसर हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया, जहॉ से जोधपुर रैफर कर दिया गया, जिसकी सूचना उसे दूरभाष से मिली । पूछताछ करने पर पता चला कि उसके भाई महेन्द्र ने लक्ष्मी पुत्री लेखाराम, निवासी–ढींगसरा वाली के साथ दिनांक 16.03.2024 को आर्य समाज में विवाह कर लिया था, उस बात से मुलजिमान नाराज थे और इसी नाराजगी को लेकर के सभी मुलजिमान ने उसके निर्दोष भाई विजेन्द्र के साथ जानलेवा हमला करके गंभीर मारपीट की, आदि रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 111/2024, अन्तर्गत धारा 147, 149, 365, 307 भा.दं.सं. में दर्ज रजिस्टर की गई ।

3. विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है । प्रार्थी/अभियुक्त घटना में शामिल नहीं रहा है बल्कि वह घटना के दिन अपना ट्रक लेकर बाहर गया हुआ था । बढ़ा–चढ़ाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है । प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी के भाई मजरूब विजेन्द्र के साथ किसी प्रकार की मारपीट कर चोटें नहीं पहुंचाई हैं । प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का आरोप नहीं हैं, जिसमें मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.06.20204 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा । अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम के जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुये बहस में निवेदन किया कि अनुसंधान से मुलजिम लेखराम के विरुद्ध धारा 147, 149, 365, 326, 307 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं । मुलजिम ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के भाई विजेन्द्र को जान से मारने के आशय से उसको बस से उतारकर, अपने वाहन में डालकर अपहरण करके ले जाकर, उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट करके उसकी नाक काट दी तथा उसके गंभीर उपहतियां कारित कर हत्या के प्रयत्न का अपराध किया है । धारा 307 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है । प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है । मुलजिम के विरुद्ध के विरुद्ध पूर्व में एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है । गंभीर प्रकृति का मामला है । अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं संपूर्ण केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

6. प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम के विरूद्ध पूर्व में निम्न एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अभियोजन की ओर से बताया गया है–

क्र.सं.	थाने का नाम	एफ आई आर संख्या	अपराध धारा	वर्तमान स्थिति
01.	डीडवाना	10/1995	279, 304 ए भा.दं.सं.	जैर ट्रायल

7. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम के विरुद्ध अनुसंधान से धारा धारा 147, 149, 365 ,326, 307 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं । मुलजिम पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के भाई मजरूब विजेन्द्र को जान से मारने के आशय से उसे उसकी बस से उतारकर अपने वाहन में डालकर, अपहरण कर ले जाकर, उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोटें कारित करने व उसकी नाक काटकर गंभीर उपहति कारित करने व उसकी हत्या का प्रयत्न करने जैसे धारा 147, 149, 365, 326, 307 भा.दं.सं. के गंभीर अपराधों के आरोप हैं । धारा 307 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है । कैस डायरी में मजरूब विजेन्द्र का चोट प्रतिवेदन व महात्मा गांधी हॉस्पीटल, जोधपुर में भर्ती होने संबंधी दस्तावेज तथा मजरूब के फोटोग्राफ भी उपलब्ध हैं, जिनके अवलोकन से मजरूब के धारदार हथियार से गंभीर प्रकृति की चोटें आई हुई होना दर्शित होती हैं तथा मुलजिमान द्वारा धारदार हथियार से मजरूब का नाक काटकर गंभीर उपहति कारित करना भी दर्शित होता है । ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुये, प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

<u>–आदेश–</u>

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त लेखराम पुत्र मोहनराम, उम्र–50 वर्ष, निवासी–ढींगसरा, पुलिस थाना सदर, नागौर, जिला–नागौर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । केस डायरी लौटाई जावें ।

(देव कुमार खत्री),
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1,
नागौर ।

9. आदेश आज दिनांक 01.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देव कुमार खत्री),
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1,
नागौर ।